

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बडगांव / सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी कमर चौधरी, आई.ए.एस

प्रकरण संख्या 6/2018 प्रार्थना पत्र

1. सरकार जरिये तहसीलदार बडगांव जिला –उदयपुर (राज.)।

प्रार्थी

बनाम

1. नवला पिता उदा भील निवासी – ग्राम तुला, पटवार क्षेत्र कठार तहसील – बडगांव जिला– उदयपुर (राज.)
2. रूपा पिता उदा भील निवासी – ग्राम तुला, पटवार क्षेत्र कठार तहसील – बडगांव जिला– उदयपुर (राज.)
3. मोती पिता दोला भील निवासी – ग्राम तुला, पटवार क्षेत्र कठार तहसील – बडगांव जिला– उदयपुर (राज.)
4. देवा पिता दोला भील निवासी – ग्राम तुला, पटवार क्षेत्र कठार तहसील – बडगांव जिला– उदयपुर (राज.)
5. उदा पिता खेमा भील निवासी – ग्राम तुला, पटवार क्षेत्र कठार तहसील – बडगांव जिला– उदयपुर (राज.)
6. रूपा पिता खेमा भील निवासी – ग्राम तुला, पटवार क्षेत्र कठार तहसील – बडगांव जिला– उदयपुर (राज.)
7. राजींग पिता खेमा भील निवासी – ग्राम तुला, पटवार क्षेत्र कठार तहसील – बडगांव जिला– उदयपुर (राज.)
8. भवरिया पिता खेमा भील निवासी – ग्राम तुला, पटवार क्षेत्र कठार तहसील – बडगांव जिला– उदयपुर (राज.)
9. नवली पत्नी स्व. लछा भील निवासी – ग्राम तुला, पटवार क्षेत्र कठार तहसील – बडगांव जिला– उदयपुर (राज.)
10. रोडा पिता लछा भील निवासी – ग्राम तुला, पटवार क्षेत्र कठार तहसील – बडगांव जिला– उदयपुर (राज.)
11. खेमा पिता लछा भील निवासी – ग्राम तुला, पटवार क्षेत्र कठार तहसील – बडगांव जिला– उदयपुर (राज.)
12. कना पिता लछा भील निवासी – ग्राम तुला, पटवार क्षेत्र कठार तहसील – बडगांव जिला– उदयपुर (राज.)
13. गंगाराम पिता माना भील निवासी – ग्राम तुला, पटवार क्षेत्र कठार तहसील – बडगांव जिला– उदयपुर (राज.)
14. नवा पिता माना भील निवासी – ग्राम तुला, पटवार क्षेत्र कठार तहसील – बडगांव जिला– उदयपुर (राज.)
15. कंकुडी पुत्री माना भील निवासी – ग्राम तुला, पटवार क्षेत्र कठार तहसील – बडगांव जिला– उदयपुर (राज.)
16. नवली पुत्री माना भील निवासी – ग्राम तुला, पटवार क्षेत्र कठार तहसील – बडगांव जिला– उदयपुर (राज.)

38. भेरा पिता डुंगा भील निवासी – ग्राम तुला, पटवार क्षेत्र कठार तहसील – बडगांव जिला – उदयपुर (राज.)
39. धुला पिता नाथु भील निवासी – ग्राम तुला, पटवार क्षेत्र कठार तहसील – बडगांव जिला – उदयपुर (राज.)
40. वरदा पिता नाथु भील निवासी – ग्राम तुला, पटवार क्षेत्र कठार तहसील – बडगांव जिला – उदयपुर (राज.)
41. मेमो पिता नाथु भील निवासी – ग्राम तुला, पटवार क्षेत्र कठार तहसील – बडगांव जिला – उदयपुर (राज.)
42. रोडा पिता नाथु भील निवासी – ग्राम तुला, पटवार क्षेत्र कठार तहसील – बडगांव जिला उदयपुर (राज.)
43. रोडा पिता भेरा भील निवासी – ग्राम तुला, पटवार क्षेत्र कठार तहसील – बडगांव जिला – उदयपुर (राज.)
44. थाना पिता भेरा भील निवासी – ग्राम तुला, पटवार क्षेत्र कठार तहसील – बडगांव जिला – उदयपुर (राज.)
45. नोजा पिता भेरा भील निवासी – ग्राम तुला, पटवार क्षेत्र कठार तहसील – बडगांव जिला – उदयपुर (राज.)

प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक:-

बकुलाय पक्षकारान उपस्थित प्रकरण का अवलोकन किया गया संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी तहसीलदार बडगांव द्वारा प्रतिवादीगण सर्व श्री नवला रूपा पिता उदा, मोती देवा पिता दोला, उदा रूपा राजींग भवरिया पिता खेमा, नवली पत्नी स्व. लछा रोडा खेमा कना पिता लछा, गंगाराम नवा पिता माना कंकुडी नवली पुत्री माना, धुला पिता हेमा, शंकर रता टेका अम्बावा पिता भगा डालकी पत्नी स्व. भगा, दला किशना पिता गेगा, वरदा सवा लाडु टेका पिता केशा जेतकी कंकुडी हुरती पुत्री केशा मनकी पत्नी स्व. केशा, अम्बावा पिता मोती, पेमा वाला पिता कीका दला अमरा पिता चेना भेरा पिता डुंगा, धुला वरदा मेमो रोडा पिता नाथु, रोडा थाना नोजा पिता भेरा जाति भील सभी निवासी – ग्राम तुला के विरुद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत किया। प्रार्थी द्वारा यह कथन किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे जमाबन्दी सेग्रीगेशन प्रोग्राम के तहत सभी खातेदारों का हिस्सा अलग-अलग किया जाना है इस हेतु ग्राम तुला की जमाबन्दी में खातेदारों के हिस्सों की जांच किये जाने पर हाल खाता संख्या 157 में आराजी संख्या 1580, 2619, 2620 कुल कित्ता 3 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा में खातेदार नवला रूपा पिता उदा 1/16 हि.ब. मोती

देवा पिता दोला 2/24 हि.ब. उदा रूपा राजींग भवरिया पिता खेमा 1/24 हि.ब. मु.नवली बेवा लछा रोडा खेमा कना पिता लछा 1/40 रोडा खेमा कना पिता लछा नवलीबाई बेवा लछा 1/40 हि.ब. गंगाराम नवा कंकुडी नवली पिता माना 1/80 हि.ब. धुला पिता हेमा 1/80 हिस्सा शंकर रता टेका अम्बावा पिता भगा मु. डालकी बेवा भगा 1/120 हि.ब. दला किशना पिता गेगा 2/120 हि.ब. वरदा सवा लाडु टेका जेतकी कंकुडी हुरती पिता केशा मनकी बेवा केशा 1/40 अम्बावा पिता मोती 1/16 पेमा वाला पिता कीका दला अमरा पिता चेना भेरा पिता डुंगा 1/8 हि.ब. धुला वरदा मेमो पिता नाथु 1/8 हि.ब. रोडा थाना नोजा पिता भेरा 1/40 हि.ब. भील सा. देह खातेदार का अंकन दर्ज है। उक्त खाते में सभी हिस्सों का योग मिलाकर 1/1 नहीं होता है जिससे हिस्सो के अंकन त्रुटीपूर्ण होने से इस बाबत पटवारी हल्का कठार एवं भू-अभिलेख निरीक्षक लोसिंग से जांच करवायी गई जिससे जांच रिपोर्ट में भी उक्त हिस्सो में त्रुटी पूर्व भू-प्रबन्ध जमाबन्दी से ही होना जाहिर आया। पूर्व भू प्रबन्ध की जमाबन्दी संवत् 2031 में भी उक्त खाता संख्या 175 में नवला रूपा पिता उदा 1/16 हि.ब. मोती देवा पिता दोला 2/24 हि.ब. उदा रूपा राजींग भवरिया पिता खेमा 1/24 हि.ब. लछा तेजा पिता पांचा 2/40 हि.ब. चुना माना धुला पिता हेमा 1/40 हि.ब. भगा दला किशना पिता गेगा 1/40 हि.ब. केशा पिता गांगा 1/40 मोती पिता केरिंग 1/16 पेमा वाला चेना पिता कीका भेरा पिता डुंगा 1/8 हि.ब. धुला वरदा रोडा मेमो पिता नाथु हि. ब. रोडा नोजा थाना पिता भेरा 1/40 हि.ब. भील सा. देह खातेदार अंकित है जिसमें हिस्सों का योग 1/1 नहीं बनने से त्रुटीपूर्ण है। जो तत्समय से आदिनांक तक बनने वाली सभी रोटेशन जमाबन्दीयो में त्रुटीपूर्ण अंकित होकर वर्तमान में भी त्रुटीपूर्ण ही अंकित है। हिस्सों में उक्त त्रुटी भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा जमाबन्दी बनाये जाने के दौरान हुई है। जो आदिनांक तक निरन्तर चली आ रही है। इसी प्रकार सेटलमेन्ट जमाबन्दी के मुकाबले हाल जमाबन्दी में खातेदार रोडा पिता नाथु भील का नाम भी अंकित नहीं है। पटवारी हल्का कठार एवं भू-अभिलेख निरीक्षक लोसिंग द्वारा मौके पर जाकर मौतबिरान व पक्षकारान से की गई जांच अनुसार यह जाहिर आया कि उक्त खाते की आराजी संख्या 1580, 2619, 2620 कुल किता 3 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा में मौके पर खातेदार नवला रूपा पिता उदा 1/10 हि.ब. मोती देवा पिता दोला 1/15 हि.ब. उदा रूपा राजींग भवरिया पिता खेमा 1/30 हि.ब. नवली पत्नी स्व. लछा रोडा खेमा कना पिता लछा 1/10 हि.ब. गंगाराम नवा पिता माना कंकुडी नवली पुत्री माना 1/20 हि.ब. धुला पिता हेमा 1/20 शंकर रता टेका अम्बावा पिता भगा डालकी पत्नी स्व. भगा 1/30 हि.ब. दला किशना पिता गेगा 1/15 हि.ब. वरदा सवा लाडु टेका पिता केशा जेतकी कंकुडी

हुरती पुत्री केशा मनकी पत्नी स्व. केशा 1/10 हि.ब. अम्बावा पिता मोती 1/10 पेमा वाला पिता कीका 1/20 हि.ब. दला अमरा पिता चेना 1/40 हि.ब. भेरा पिता डुंगा 1/40 धुला वरदा मेमो रोडा पिता नाथु 1/10 हि.ब. रोडा थाना नोजा पिता भेरा 1/10 हि.ब. पर काबिज होकर काशत कर रहे है। मौके पर काबिज उक्त हिस्सों अनुसार सभी हिस्सों का योग भी 1/1 हो रहा है। मौके पर कायम अनुसार हिस्सों का अंकन वर्तमान जमाबन्दी खाते में कराये जाने पर उपस्थित पक्षकारान द्वारा कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया गया है। इसलिए प्रार्थी द्वारा मौके पर काबिज अनुसार हिस्सों का सही अंकन जमाबन्दी में करवाने हेतु निवेदन किया गया है। इस बाबत वास्ते प्रमाण प्रार्थी द्वारा दस्तावेज भू-प्रबन्ध जमाबन्दी व हाल जमाबन्दी की नकले एवं पटवारी हल्का कठार व भू-अभिलेख निरीक्षक लोसिंग द्वारा इस बाबत की गई मौका जांच रिपोर्ट भी प्रस्तुत की।

प्रकरण में प्रतिवादीगण को जरिये सूचना पत्र तलबी करवाई जाकर दिनांक 10.01.18 को उनको इस बाबत अपने पक्ष में साक्ष्य सबूत प्रस्तुत कर प्रकरण में अपना पक्ष रखने हेतु अवसर दिया गया।

उपस्थित विपक्षीगण द्वारा आज दिनांक 10.01.18 को जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। परन्तु उपस्थित पक्षकारान ने मौके पर काबिज हिस्सों अनुसार भुमि खाते रखी जाने का निवेदन किया। नाम छुट गया या हिस्सा कम ज्यादा दर्ज हुआ है तो नाम जोडने एवं हिस्सों में शुद्धि किये जाने पर कोई आपत्ति नही की है।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार बडगांव द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं पटवारी हल्का कठार एवं भू-अभिलेख निरीक्षक लोसिंग की रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया गया। समस्त दस्वातेज एवं रिपोर्ट से यह तथ्य जाहिर आया कि जमाबन्दी के प्रत्येक खाते में हिस्सों का योग 1/1 होना चाहिये। जो कि मौजा तुला की भू-प्रबन्ध जमाबन्दी संवत् 2031 से ही खाता संख्या 175 कुल आराजी किता 3 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा में त्रुटीपूर्ण हिस्सा अंकित है उक्त खाते में समस्त हिस्सो का योग 1/1 नहीं है जिससे हिस्सों का त्रुटीपूर्ण होना जाहिर होता है। उक्त त्रुटी संवत् 2031 से प्रत्येक रोटेशन जमाबन्दी में निरन्तर कायम रहते हुए वर्तमान जमाबन्दी में भी कायम होकर हिस्सों का योग 1/1 नहीं बन रहा है। मौका पर्चा रिपोर्ट से जाहिर है कि पक्षकारान मौके पर अपने अपने सही हिस्से पर काबिज अनुसार ही जमाबन्दी खाते में हिस्सों का सही अंकन कराने पर सहमत है। न्यायालय में उपस्थित पक्षकारान द्वारा भी उक्त मौके कब्जे अनुसार हिस्से दर्ज करने पर कोई आपत्ति नहीं की है। जिससे न्यायालय का निष्कर्ष है कि विपक्षीगण खातेदारों का हिस्सा जमाबन्दी में वर्तमान गलत अंकित हिस्सों की बजाय दुरुस्त कर मौके पर काबिज हिस्सों अनुसार किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है एवं जमाबन्दी ग्राम तुला की हाल खाता संख्या 157 में आराजी संख्य 1580, 2619, 2620 कुल कित्ता 3 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा में हिस्सों को शुद्ध कर प्रार्थी तहसीलदार बडगांव द्वारा प्रस्तावित मौके पर काबिज हिस्सों अनुसार नवला रूपा पिता उदा 1/10 हि.ब. मोती देवा पिता दोला 1/15 हि.ब. उदा रूपा राजींग भवरिया पिता खेमा 1/30 हि.ब. नवली पत्नी लछा रोडा खेमा कना पिता लछा 1/10 हि.ब. गंगाराम नवा कंकुडी नवली पिता माना 1/20 हि.ब. धुला पिता हेमा 1/20 शंकर रता टेका अम्बावा पिता भगा डालकी पत्नी भगा 1/30 हि.ब. दला किशना पिता गेगा 1/15 हि.ब. वरदा सवा लाडु टेका जेतकी कंकुडी हुरती पिता केशा मनकी पत्नी स्व. केशा 1/10 हि.ब. अम्बावा पिता मोती 1/10 पेमा वाला पिता कीका 1/20 हि.ब. दला अमरा पिता चेना 1/40 हि.ब. भेरा पिता डुंगा 1/40 धुला वरदा मेमो रोडा पिता नाथु 1/10 हि.ब. रोडा थाना नोजा पिता भेरा 1/10 हि.ब. सा. देह खातेदार का अंकन करने की स्वीकृति दी जाती है। तहसीलदार बडगांव हाल रिकर्ड एवं सेटलमेन्ट के पूर्व के रिकर्ड की पूर्ण जांच करके ही रिकर्ड में अमलदरामद की कार्यवाही करे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फ़ैसल शुमार हो नम्बर से कम हो।

कमर चौधरी

(आई.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी बडगांव

जिला उदयपुर (राज.)